मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रांची, दिनांक: 24/12/2020

मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची
विज्ञप्ति संख्या- 961/2020
24 दिसंबर 2020
झारखंड मंत्रालय, रांची

=================

राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का मुख्यमंत्री ने दिया आदेश

================

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में समीक्षा के उपरांत लिया गया निर्णय

=================

राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है । मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरांत सरकारी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया । कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है । सभी विभागीय प्रमुख, प्रमंडल के आयुक्त और जिलों के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए है ।

विधानसभा के विशेष समिति के सदस्यों के साथ की चर्चा

मुख्यमंत्री ने आज अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर पूरे वस्तुस्थिति की जानकारी ली । इस मौके पर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं निर्देशों के अनुकूल प्रोन्नति देने को लेकर प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन सौंपा ।पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लेने की बात कही ।

=================

#TeamPRD(CMO)